**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्चतर शिक्षा विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 1143**

उत्तर देने की तारीखः 16.12.2013

**महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा में अनियमितताएं**

**1143. श्री मनसुख एल॰ मांडवियाः**

**श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमारः**

**श्री पुरूषोत्तम खोडाभाई रूपालाः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की स्थिति अनुसार, मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा में भवन निर्माण तथा कर्मचारियों की नियुक्ति में हुई कथित अनियमितताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच करवायी गई है और यदि हां, तो इसके जांच के परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय का इरादा इस विश्वविद्यालय की एक शाखा महात्मा गांधी के जन्म स्थल पोरबन्दर में स्थापित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री एम.एम. पल्लम राजू)**

**(क) और (ख) :** महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (एमजीएएचवी) ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य सरकारी एजेंसियों अर्थात् केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड और महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को सौंपा गया है। लेखापरीक्षा ने 01.02.2011 से 31.08.2012 की अवधि की अपनी मसौदा निरीक्षण रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड को निर्माण कार्य प्रदान करने के संबंध में एक पैराग्राफ शामिल किया है। विश्वविद्यालय ने महानिदेशक, लेखापरीक्षा को उक्त पैराग्राफ का प्रत्युत्तर दिया है।

जहां तक भर्ती से संबंधित मामले का प्रश्न है, तत्कालीन कुलपति द्वारा अपने आपात अधिकारों का प्रयोग करते हुए 11 शिक्षण स्टॉफ की नियुक्ति करने का एक मामला था। विश्वविद्यालय की ईसी ने इन नियुक्तियों के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने इन शिक्षकों को भुगतान करने से संबंधित मुद्दे पर एक पैराग्राफ का मसौदा तैयार किया। विश्वविद्यालय ने अपनी टिप्पणियां लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की हैं।

दो से अधिक विशेष कार्य अधिकारियों (ओएसडी) की नियुक्ति करने का एक और अन्य मुद्दा था। विश्वविद्यालय ने सूचित किया था कि उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर की गई थी जब नियमित पदाधिकारियों जैसे रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, की कमी थी। अब, विश्वविद्यालय में केवल एक ओएसडी है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्वीकृत पद पर कार्य कर रहा है।

**(ग) :** विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संगठन है जो अपने अधिनियम, संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार कार्य करता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 में अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय को विजिटर के पूर्व अनुमोदन से परिसर/केंद्र स्थापित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि पोरबंदर में विश्वविद्यालय की शाखा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

\*\*\*\*\*